मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक/एफ 14/28/2002/10-2 भोपाल दिनांक 11 फरवरी 2004

प्रति,

1-समस्त वन संरक्षक(क्षेत्रीय)

मध्य प्रदेश.

2-समस्त वन मंडलाधिकारी(क्षेत्रीय)

मध्य प्रदेश.

विषयः-अवैध कटाई हेतु उत्तरदायित्वों का निर्धारण।

-----0-----

आवक क्र. 109 दिनांक 16/2

वनों का संरक्षण एवं संवर्धन वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संयुक्त जिम्मेदारी है। वनों में अवैध कटाई पर नियंत्रण रखने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया जाना आवश्यक है ताकि अवैध कटाई एवं उससे होनेवाली हानि पर नियंत्रण रखा जा सके। उक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एतद् द्वारा अवैध कटाई एवं उससे होनेवाली हानि हेतु उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए पूर्व में जारी आदेशों को अधिक्रमित करते हुए, निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये जाते हैं :-

1- अवैध कटाई पर नियंत्रण रखने हेतु निर्धारित बीट रोस्टर अनुसार बीटों का निरीक्षण अनिवार्यतः किया जावेगा। बीट निरीक्षण प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में तैयार किया जावेगा। बीट निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण) द्वारा अनुमोदित किया जावेगा, जिसमें कोई भी परिवर्तन क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा नहीं किया जावेगा।

2- बीट निरीक्षण की प्रक्रिया वन निरीक्षण मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) द्वारा इस प्रकार किया जायेगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बीटों का निरीक्षण प्रत्येक स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। बीटों के निरीक्षण की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में एक समान रहेगी, जिसमें कोई भी परिवर्तन मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।

3– अवैध कटाई के पेड़ों के ठूंठों की गोलाई की माप भूमि सतह से 30–40 से.मी. तक मध्य जिस बिन्दु पर दोषमुक्त गोलाई प्राप्त हो, उस स्तर पर मापी जायेगी।

4– अवैध रूप से काटे गये वृक्षों की चोरी के फलस्वरूप हुई हानि की गणना हेतु अलग से वाणिज्यिक दरें निर्धारित की जायें, जिसमें प्रत्येक वन वृत्त में विभिन्न गोलाई वर्ग में प्रत्येक गोलाई वर्ग के 20 वृक्षों से प्राप्त वास्तविक काष्ठ का गोलाई वर्गवार पता लगाया जाये एवं उक्त गोलाई वर्ग से प्राप्त काष्ठ का मूल्य उस वर्ष के लिए वृत्त में प्रचलित सामान्य वाणिज्यिक दरों के आधार पर निर्धारण किया जावे। इस प्रकार प्राप्त कुल राशि को 20 से विभाजित करते हुए वृक्ष का मूल्य परिगणित किया जावे। वाणिज्यिक दरों की गणना डिपो में प्राप्त मूल्य से विदोहन व्यय घटाते हुए परिगणित किया जावे। वृक्ष मूल्य के आधार पर ही हानि की राशि की परिगणना की जावे।

5– अवैध कटाई के लिए वन रक्षक से लेकर वन मंडलाधिकारी स्तर तक के अधिकारियों को वन संरक्षण में उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया गयाहै। प्रत्येक स्तर के मार्गदर्शी उत्तरदायित्व परिशिष्ट–1 में संलग्न है। उक्त उत्तरदायित्वों के पालन में जिस स्तर पर शिथिलता पाई जाती है, उन स्तर के अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध अवैध कटाई के प्रकरणों में कार्यवाही की जाये।

6– यदि किसी अधिकारी /कर्मचारी द्वारा बारम्बार अवैध कटाई के संबंध में अपने से ऊपर के अधिकारी को सूचना दी जाती है एवं उसके बाद भी उच्च अधिकारी द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं की जाती है, तो ऐसी परिस्थितियों में ऐसे अधिकारी के विरूद्ध कर्त्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता की कार्यवाही की जावेगी।

7– यदि समस्त कर्मचारियों /अधिकारियों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन किया गया है तो हानि की राशि का अपलेखन सक्षम स्तर से किया जावे।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

11/02/04

(सुधीर पंवार)
अपर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन वन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक/एफ 14/28/2002/10-2 भोपाल दिनांक 11 फरवरी

प्रतिलिपि:-

692
13/2/04

1- प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश भोपाल.

2- समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश भोपाल.

3- समस्त मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश भोपाल.

4- प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम भोपाल.

5- प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ भोपाल.

11/02/04

अपर सचिव,

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

वनरक्षक के दायित्व	परिक्षेत्र सहायक के दायित्व	वन परिक्षेत्राधिकारी के दायित्व	उप वनमण्डलाधिकारी के दायित्व	वनमण्डलाधिकारी के दायित्व
1	2	3	4	5
1 वनों की नियमित रूप से गश्त करना।	1 जप्त काष्ठ का परिवहन यथाशीघ्र सुनिश्चित करना।	1 परिक्षेत्र सहायकों एवं बीट रक्षकों के कार्यों का पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं अनुश्रवण करना।	मध्य प्रदेश वन मैनुअल के निम्न पैरा (क्र.-2) के अनुसार उप वनमण्डलाधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित है :-	1 निर्धारित लक्ष्य एवं निर्धारित प्रक्रिया अनुसार बीट निरीक्षण करना एवं अधीनस्थों द्वारा निरीक्षण सुनिश्चित करना।
2 वन अपराध दृष्टिगत होने पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार यथाशीघ्र पी.ओ.आर. जारी करना।	2 निर्धारित रास्टर एवं प्रक्रिया अनुसार बीट निरीक्षण करना।	2 निर्धारित रास्टर एवं प्रक्रिया के अनुसार बीट निरीक्षण करना।	"वनों की आग, अतिक्रमण अतिचार, अवैध कटाई, एवं चराई से सुरक्षा सुनिश्चित करें तथा सभी वन अपराध प्रकरणों की वनमण्डलाधिकारी को समय पर सूचना दें केवल ऐसे वन अपराधों को छोड़कर जिसमें कोई कार्यवाही करने के लिए वह स्वयं सक्षम हो"	2 गंभीर वन अपराधों की जानकारी मिलने पर उनकी जांच की व्यवस्था करना, उनकी पुनरावृत्ति को रोकने का प्रयास करना, उच्चाधिकारियों को आवश्यकतानुसार सूचित करना, एवं अधीनस्थों को आवश्यक मार्गदर्शन देना।
3 स्थल पर उपलब्ध काष्ठ का जप्त कर निर्धारित स्थल पर यथाशीघ्र परिवहन कराना तथा अपराधियों का पता लगाने का प्रयास करना।	3 बीट रक्षकों के कार्यों का पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं अनुश्रवण करना।	3 अधीनस्थ कर्मचारियों का नियमानुसार गश्ती निरीक्षण करना।	इसके पालन के लिये उनसे निम्नलिखित कार्यवाही अपेक्षित है :-	3 अधीनस्थ अमले के कार्यों का परीक्षण, नियंत्रण एवं अनुश्रवण।
4 गंभीर अपराधों के बारे में उच्चाधिकारियों को विशेष तौर पर यथाशीघ्र सूचित करना।	4 गंभीर वन अपराधों के संबंध में उच्चाधिकारियों को विशेष तौर पर सूचित करना।	4 गंभीर वन अपराध प्रकरणों में उच्चाधिकारियों को विशेष तौर पर सूचित करना।	1 अधीनस्थ अमले के कार्यों का पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं अनुश्रवण करना।	4 उच्चाधिकारियों के सामान्य या विशेष निर्देशों एवं वैधानिक प्रावधानों के अनुसार वन सुरक्षा से संबंधित अपनी जिम्मेदारी
5 वन अपराधों को रोकने के लिये आदतन अपराधियों के संबंध में सतत् जानकारी एकत्र करना।	5 अपनी प्रभार अवधि के समस्त वन अपराध प्रकरणों की जॉच पी.ओ.आर. के दिनांक से 3 महीने के अन्दर पूर्ण करना। पूर्व से लंबित प्रकरणों की जॉच वन मण्डलाधिकारी द्वारा निर्धारित समय बद्ध कार्यक्रम अनुसार पूर्ण करना।	5 गंभीर वन अपराधों की सूचना मिलने पर जॉच के लिये विशेष न्यास करना एवं उनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिये आवश्यक कदम उठाना।	2 निर्धारित लक्ष्य एवं प्रक्रिया के अनुसार बीट निरीक्षण करना एवं अधीनस्थों द्वारा भी बीट निरीक्षण सुनिश्चित करना।	
6 वैधानिक प्रावधानों एवं उच्चाधिकारियों के सामान्य या विशेष निर्देशों के अनुसार वन सुरक्षा के संबंध में उत्तरदायित्वों का पालन करना।	6 वन अपराधों को रोकने के लिए आदतन अपराधियों की गतिविधियों पर सतत् नजर रखना।	6 कालातीत होने के पूर्व वन अपराध प्रकरणों को न्यायालय में प्रस्तुत करना।	3 उच्चाधिकारियों के सामान्य विशेष	
		7 न्यायालय प्रकरणों में सरकीय हित के लिये सभी प्रयास करना।		

निम्न बिन्दु निर्धारित किये गये :-

नियमित गस्ती की साप्ताहिक डायरी परिक्षेत्र सहायक को देना।	वैधानिक प्रावधानों एवं उच्चाधिकारियों के सामान्य या विशेष निर्देशों के अनुसार वन सुरक्षा से संबंधित अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना। प्रत्येक माह की डायरी अगले माह के प्रथम सप्ताह में परिक्षेत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना।	8 विभिन्न बीटों में जप्त वनोपज को विक्रय डिपो में लगभग 1 माह के अन्दर परिवहन करवाना सुनिश्चित करना। 9 उच्चाधिकारियों के सामान्य या विशेष निर्देश के अनुसार एवं वैधानिक प्रावधानों के अनुसार वन सुरक्षा से संबंधित अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना। 10 निर्धारित प्रक्रिया एवं रोस्टर अनुसार आरा मशीनों का निरीक्षण करना। 11 प्रत्येक माह की डायरी आगामी माह के प्रथम सप्ताह में वनमण्डल अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।	निर्देशों एवं वैधानिक प्रावधानों के अनुसार वन सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाना। 4 वन अपराधों से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों की सतत् समीक्षा एवं समय पर आवश्यक कार्यवाही करना। 5 जप्त वाहनों एवं अन्य सामग्री का राजसात करने की समयानुसार कार्यवाही करना एवं राजसात की गई संपत्ति के निर्वतन की कार्यवाही प्रारंभ करवाना। 6 वन अपराधों के प्रशमन की कार्यवाही उनके कालातीत होने से पूर्व सुनिश्चित करना एवं प्रशमन पूर्ण न होने पर समय पर प्रकरण को न्यायालय में ले जाना। 7 आरा मशीन चैकिंग एवं वैधानिक प्रावधान अनुसार कार्यवाही। 8 प्रत्येक माह की डायरी आगामी माह के प्रथम सप्ताह में वनमण्डल अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।	का निर्वहन करना। 5 जप्त आरा मशीनों एवं अन्य सामग्री को राजसात करने की समयानुसार कार्यवाही करना एवं अंतिम रूप से राजसात की गई संपत्ति के निर्वतन की कार्यवाही प्रारंभ करवाना। 6 प्रत्येक माह की डायरी आगामी माह के प्रथम सप्ताह में परिक्षेत्र कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।